कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री आर0 बी0 ट्रेडिंग कम्पनी, सी-10 / 3, नया पानदरीबा, चेतगंज, वाराणसी।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**52 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री राणा प्रताप सिंह, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-52 / 11, दिनांक 16.05.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **gambier** पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?

2. फर्म की ओर से श्री राणा प्रताप सिंह, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि कत्था उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क के क्रमांक-68 पर वर्गीकृत है तथा कत्था को ACASIA CATECHU नामक पेड़ से निकाला जाता है जिसे खैर भी कहते हैं तथा gambier, UNCARIA GAMBIER नामक पेड़ से निकाला जाता है । UNCARIA GAMBIER ज्यादातर मलेशिया, जावा, सुमात्रा और सिंगापुर आदि देशों में पैदा किया जाता है । अवगत कराया कि gambier और कत्थे की भौतिक और रासायनिक संरचना लगभग एक समान है अत: UNCARIA GAMBIER से निकाली गयी वस्तु भी कत्था है । भारत में कत्था इन्डस्ट्री खैर लकड़ी पर निर्भर करती है तथा इसका मुख्य उपयोग पान के साथ किया जाता है तथा आयुर्वेद में दवा के रूप में भी इसका उपयोग होता है जैसे यह खुजली, अपच, ब्रानकाइटिस आदि के निवारण में इसे दवा की तरह प्रयुक्त करते हैं । परन्तु गैबियर का उपयोग यूरोप में मुख्यत: टैनिंग के कार्य में किया जाता है क्योंकि gambier की टैनिंग से लेदर में साफ्टनेस आ जाती है तथा gambier, ऊन, सिल्क आदि की डाई करने के भी काम में आता है ।

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-68 निम्नवत है :-

68	Kattha.

4. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-प्रथम के पत्रांक-631, दिनांक 14.06.11 एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, वाराणसी सम्भाग-बी के पत्र संख्या-417, दिनांक 14.06.11 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार खैर की लकड़ी के टुकड़े काटकर पानी में उबालने के पश्चात् जो पदार्थ बचता है उसे कत्था कहा जाता है जिसका उपयोग पान मसाला, पान, दवा आदि में किया जाता है । परन्तु gambier का मुख्यत: उपयोग चमड़े की टैनिंग करने के कार्य में लाया जाता है । गैम्बियर को आदमी के

.....2

खाने के लिए भी उचित नहीं माना जाता है । अत: दोनों वस्तुए भिन्न हैं तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची में gambier वर्गीकृत नहीं है । अवगत कराया कि कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत दिनांक 10.03.2008 को पारित अपने आदेश सर्वश्री यू0 पी0 किराना इम्पोर्ट्स एसो0, 60 / 52, नयागंज, कानपुर (प्रार्थना-पत्र संख्या-52 / 08) के मामले में गैम्बियर पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता निर्धारित की जा चुकी है ।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया । पाया गया कि कत्था भिन्न प्रकार की वनस्पति से निकाला जाता है तथा गैम्बियर भिन्न प्रकार की वनस्पति से निकाला जाता है अत: दोनों के प्राप्त होने के स्रोत अलग-अलग हैं । खैर की लकड़ी से निकाले गये जूस को कत्था कहते हैं । परन्तु गैम्बियर की लकड़ी से निकाले गये जूस को कत्था नहीं कहा जाता है तथा इसका उपयोग मुख्यत: चमड़ा, ऊन आदि को रंगने में होता है । साधारण बोल-चाल की भाषा में भी या व्यापारिक दृष्टिकोण से भी खैर की लकड़ी के जूस को ही कत्था कहा जाता है तथा जनसाधारण में गैम्बियर के जूस को आदमी के खाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है । ठीक इसके विपरीत खैर की लकड़ी से निकले जूस को साधारण भाषा के रूप में कत्थे के रूप में जाना जाता है तथा यह पान में तथा पान मसाले में प्रयुक्त होता है तथा इस जूस में कुछ दवाइयों के गुण भी मौजूद होते हैं । अत: उपरोक्त से स्पष्ट है कि कत्था व गैम्बियर दो अलग-अलग वस्तुएं हैं । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-68 में कत्था वर्गीकृत है परन्तु इस प्रविष्टि में गैम्बियर का उल्लेख नहीं है । अत: उपरोक्त से स्पष्ट है कि गैम्बियर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की किसी अनुसूची-1, 2, 3 एवं 4 में वर्गीकृत नहीं है । अत: **gambier** पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है । सर्वश्री यू0 पी0 किराना इम्पोर्ट्स एसो0, 60 / 52, नयागंज, कानपुर के वाद में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.03.2008 द्वारा gambier पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता निर्धारित की जा चुकी है तथा उक्त आदेश प्रस्तुत मामले में भी प्रभावी रहेगा ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 15 नवम्बर, 2011

ह0 / 15.11.11

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।